संख्या-12/2017/940/उन्नीस-2-2017-1061/85

प्रेषक

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2017

विषयः- स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2017 मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 71वां स्वाधीनता दिवस समारोह परम्परागत रूप से गरिमामय एवं आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2- आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो व्यवहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

(1) 15 अगस्त को प्रातः 8:00 बजे सरकारी तथा गैर-सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये तथा झण्डा-अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन किया जाए। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांध कर परम्परागत ढंग से फहराया जाए।

(2) इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ-निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाये तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ-साथ लोगों के मध्य एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव-श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाये।

(3) समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, जिसमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन'का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास बताया जाए तथा देश पर शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंग दोहराये जायें, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार-गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबन्ध-लेखन से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी यथा-सम्भव आयोजित करायी जायें। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

(4) स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु शासन के खेल विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

3- अपरान्ह् में परम्परागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाये जिसमें:-

(1) स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन-साधारण को यह भी याद दिलाया जाये कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने संघर्ष करके, अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है। इस अवसर पर आम-जन को बताया जाये कि सभी समुदायों के महापुरूषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई-चारे व इंसानियत पर बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाये। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न **परिशिष्ट** में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसभाओं के माध्यम से जन साधारण को अवगत भी कराया जाये।

(2) राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक 'राष्ट्रीय ध्वज' के महत्व के बारे में आम-जन को बताया जाये।

(3) पंथ-निरपेक्षता की मूल अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाये कि राष्ट्र और समाज का निर्माण, प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं। मेल-जोल से होगा, बैर-भाव से नहीं, एक-दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।

(4) इस समारोह में किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना सम्भव हो तो उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाय।

4- 15 अगस्त, 2017 को ब्लाक, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाये। श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाये, जहां सन् 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन-समुदाय ने आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था।

5- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2017 की रात्रि में सरकारी कार्यालय- भवनों तथा अन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाये।

6- स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाय जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं।

7- विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाय।

8- प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है- लोक संकल्प पत्र के अनुसार जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास। राज्य सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' के आधार पर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिये कृत-संकल्प है।

इस प्रकार लगभग 4 महीने के दौरान राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उसकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ सभी के हित से जुड़े निर्णय ले रही है, जिससे विकास के नये रास्ते खुलेंगे और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सदभावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सदभाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक-परिशिष्टं

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या- 12 /2017/940/उन्नीस - 2-2017तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रदेश के मा0 उप मुख्यमंत्री/समस्त मा0मंत्री/मा0राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) / मा0राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों को मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम :-

1. जनसमस्या निवारण:-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। माननीय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित ''जनता दर्शन'में प्रदेश के कोने-कोने से आये फरियादियों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा आई.जी.आर.एस. के तहत दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। तहसील समाधान दिवस के स्थान पर 21 जुलाई 2017 से इसे ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका उददेश्य जनसामान्य की शिकायतों का यथासम्भव एक ही स्थान पर प्रभावी गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण है।

2. आस्था को नमन:-

(1) कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति यात्री किया गया है।

(2) गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

(3) अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण, चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल का निर्माण कराया जायेगा।

(4) सिन्धु दर्शन के तीर्थ यात्रियों को 10 हजार रुपये प्रति यात्री की दर से अनुदान वितरित किया गया।

(5) वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर में ई-पूजा एवं आनलाइन चढ़ावा की सुविधा सुनिश्चित की गयी है।

3. किसानों की ऋण माफी का ऐतिहासिक फैसला:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2017 को किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। लघु व सीमान्त किसानों के दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये प्रतिदान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि रुपये एक लाख की सीमा तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के 86 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

(2) किसान ऋण मोचन योजना का शुभारम्भ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाकर किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

4. कानून व्यवस्था:-

(1) अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेन्स की नीति पर राज्य सरकार चल रही है, इसीलिए नियमित रूप से उच्च स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाती है।

(2) महिलाओं/किशोरियों की सुरक्षा के उद्देश्य से ''एन्टी रोमियो स्क्वाड'' का गठन कर अब तक 11,74,178 व्यक्तियों की जांच, 802 अभियोग पंजीकृत तथा 1639 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं 5,06,043 को चेतावनी दी गई।

(3) अपराधों के शतप्रतिशत पंजीकरण के निर्देश दिये गये हैं।

5. <u>जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर):-</u>

(1) जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) व्यवस्था 01 जुलाई, 2017 से प्रदेश में लागू की गई है। जीएसटी के बारे में व्यापारियों की जागरूकता हेतु अब तक 3845 कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करके लगभग 2.77 लाख व्यापारियों को लाभान्वित किया गया है।

6. <u>नगर विकास:-</u>

(1) अमृत मिशन में चयनित नगरों में 15 हजार निजी जल संयोजन कराये गए हैं।

(2) दिसम्बर 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों तथा अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के सात शहरों-इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ।

(4) वर्ष 2014 में गंगा नदी को पूर्णतयः प्रदूषण मुक्त करने के लिए ''नमामि गंगे" कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को अविरल एवं निर्मल बनाया जाना है।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास के अन्तर्गत 67,657 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(6) मथुरा-वृन्दावन तथा अयोध्या-फैजाबाद में नगर निगम की स्थापना की गयी है।

(7) प्रदेश की अवैध पशुवधशालाओं एवं यांत्रिक पशुवधशालाओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया।

(8) नगर पालिका मुगलसराय का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ''पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. <u>अर्द्धकुम्भ मेला 2019:-</u>

(1) अर्द्धकुम्भ मेला-2019 के आयोजन के अवसर पर सभी मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, प्रकाश, सफाई, स्वास्थ्य,सुरक्षा एवं सुगम आवागमन हेतु सड़कों आदि का विकास/विस्तार जनहित में अपरिहार्य है। इन कार्यों हेतु भारत सरकार से 2000 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

8. <u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):-</u>

(1) गंगा के किनारे कुल व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य 3,98,190 के सापेक्ष 3,98,190 शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।

(2) गंगा के किनारे कुल मार्क किए गए ग्रामों को शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया जा चुका है।

(3) प्रदेश के कुल 99,286 ग्रामों में से 8,161 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया जा चुका है।

9. <u>उद्योग:-</u>

(1) प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान उद्योगों को स्थिरता प्रदान करने एवं अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में नए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए एक ढॉचा तैयार करने के लक्ष्य से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 प्रभावी हो गई है।

(2) औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया गया है। इस हेतु एक अलग ''मेक इन यूपी" सेल का गठन भी किया जा रहा है। ईज आफ डूइंग बिजनेस के प्राविधानों को और सुदृढ़ किया जा रहा है, इसके तहत प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की जायेगी।

10. <u>आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्सः-</u>

(1) सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू।

(2) ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया लागू किये जाने के उपरान्त विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 55000 ई-टेण्डर प्रकाशित।

(3) ई-टेण्डर में प्रतिभाग हेतु लगभग 28000 नए निविदादाताओं द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर ई-टेण्डर पोर्टल पर पंजीयन करा लिया गया है।

11. <u>कृषिः-</u>

(1) 20 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

(2) खरीफ फसलों के 62 हजार कुन्तल अनुदानित प्रमाणित बीज एवं 57 हजार कुन्तल संकर बीज वितरण सुनिश्चित किया गया।

(3) ई-नाम के अन्तर्गत 34 मण्डियों को जोड़ा गया।

(4) कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु 18001804555 हेल्पलाइन व्यवस्था चालू की गई है।

12. <u>खाद्य तथा रसदः-</u>

(1) रबी विपणन वर्ष 2017-18 में, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 1625 रुपए प्रति कुन्तल की दर से 5105 गेहूँ क्रय केन्द्रों के माध्यम से 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी।

(2) धान खरीद के लिए 25 सितम्बर, 2017 से 28 फरवरी 2018 तक का समय निर्धारित। धान खरीद एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ई-उपार्जन के माध्यम से की जायेगी।

13. <u>गन्ना किसानों को सुविधाएंः-</u>

(1) पेराई सत्र 2016-17 में प्रदेश की चीनी मिलों का 25,386.77 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया के सापेक्ष 22,965.35 करोड़ रुपए का भुगतान, जो कुल देय का 90.46 प्रतिशत है। कुल संचालित 116 चीनी मिलों में से 65 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है।

(2) गन्ना किसानों की शिकायत निवारण हेतु विभागीय निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 जारी किया गया।

14. <u>ग्राम्य विकासः-</u>

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7.17 लाख परिवारों का पंजीकरण करते हुए 5.74 लाख आवास स्वीकृत।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 5.74 लाख लाभार्थियों को मनरेगा जाब-कार्ड जारी किये गये हैं। मनरेगा के अन्तर्गत 5.95 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

(3) बुन्देलखण्ड में पेयजल हेतु 1174 नये हैण्डपम्प लगाये गये तथा 4470 हैण्डपम्प रिबोर, 70 पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य सम्पन्न कराया गया है।

15. <u>ऊर्जाः</u>-

(1) प्रदेश के सभी परिवारों को अक्टूबर, 2018 तक विद्युत सुलभ कराने के लिए ‘‘पावर फार आल ‘‘ का समझौता किया गया है।

(2) पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 18 हजार मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया तथा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में 6,06,319 पावर कनेक्शन दिए गए।

(3) 14 अप्रैल, 2017 से ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे तथा सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

(4) विद्युत उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने और उनके समयबद्ध निस्तारण के लिये प्रदेशव्यापी हेल्पलाइन "1912" का उच्चीकरण और विस्तार किया गया है।

16. <u>सिंचाई:-</u>

(1) सरकार के गठन के पश्चात 30,098 निःशुल्क बोरिंग, 563 मध्यम गहरी बोरिंग एवं 258 गहरी बोरिंग का कार्य पूरा किया गया, जिससे 59,699 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई।

(2) 65 नवीन नलकूपों का उर्जीकरण कर उपयोगी बनाया गया, जिससे जनमानस को लाभ मिल रहा है।

(3) 37 चेकडैम का कार्य पूर्ण, जिससे 740 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई। एक हेक्टेयर से ऊपर के 178 तालाबों में मिट्टी खुदाई का कार्य पूर्ण।

17. <u>अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-</u>

(1) गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम ''महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल'', आगरा एयरपोर्ट का नाम ''पं. दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल'', कानपुर एयरपोर्ट का नाम ''डा. गणेश शंकर विद्यार्थी सिविल टर्मिनल '' तथा बरेली एयरपोर्ट का नाम ''नाथनगरी सिविल टर्मिनल'' किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा में संकल्प पारित किया गया है।

(2) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 1,21,000 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 80,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। अन्य 85,000 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 72 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया, शेष सड़कों पर युद्धस्तर पर कार्य जारी है।

18. <u>शिक्षा:-</u>

(1) 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नकल विहीन संचालन का निर्णय लिया गया है।

(2) 147 मेधावी छात्र-छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जायेगा।

(3) बच्चों के लिए नया ड्रेसकोड तथा 1-8 तक के सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाये जायेंगे।

(4) अध्यापकों को स्कूलों में 'लेसन प्लॉन' के आधार पर ही कक्षाएं संचालित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

19. <u>परिवहन:-</u>

(1) प्रदेश के 3725 गांव जिनमें अभी तक बस सेवा उपलब्ध नहीं थी, उनमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा शुरू की गई है।

(2) रक्षाबन्धन पर परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

20. <u>चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-</u>

(1) प्रदेश के ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित 38 जनपदों में विशेष कैम्प लगाकर 88 लाख 62 हजार बच्चों को विशेष अभियान में प्रतिरोधक टीके लगाये गये।

(2) पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कैम्प लगाकर 87 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया।

21. <u>एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन:-</u>

(1) एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 1,53,808 अतिक्रमण हटाये गयें तथा चिन्हित 16,505 सिविल वाद दर्ज किये गयें एवं 940 मामलों में वैधानिक कार्यवाही की गई।

22. <u>दिव्यांगजन सशक्तीकरण:-</u>

(1) दिव्यांग भरण-पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह तथा भारत सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन योजना की अनुदान धनराशि भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह की गयी है।

23. <u>नई खनन नीति:-</u>

(1) अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 लागू की गयी है।

24. <u>मेट्रो रेल परियोजनाएं:-</u>

(1) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में 22.878 किलोमीटर लम्बे नार्थ-साउथ कॉरिडोर पर मेट्रो रेल की शुरूआत शीघ्र संभावित है।

(2) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में कुल 32.385 किलोमीटर लम्बे 2 कॉरिडोर्स का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का डी.पी.आर. दिनांक 29.03.2016 को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। दिनांक 04 अक्टूबर 2016 को माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा कॉरिडोर-1 के डिपो का शुभारम्भ सम्पन्न, कार्य प्रगति पर है।

25. <u>सूचना विभाग:-</u>

(1) पं. दीन दयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को जन-जन तक पहुंचानेके उद्देश्य से दीन दयाल वाङ्मय की 7000 प्रतियाँ क्रय कर विभिन्न पुस्तकालयों में वितरण कराने की व्यवस्था की गई है।

(2) पं. दीन दयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष के अवसर पर प्रदेश के समस्त ब्लाक एवं जिला मुख्यालयों पर अन्त्योदय मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन कराया जा रहा है।

(3) 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।